न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 126ए/2015

1. जगजीत सिंह पुत्र वीरसिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. हरचरणसिंह
3. हरभजनसिंह
4. गुरजीतसिंह
5. गुरमीतसिंह
6. अजीतपालसिंह

पिसरान प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

7. छिन्द्र कौर पत्नी जरनेल सिंह जाति जटसिख निवासी राईयांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. भूपेन्द्र कौर पत्नी गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी राईयांवाली तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. गुलजार सिंह
2. गुरलाभसिंह

पिसरान वीरसिंह जाति जटसिख निवासी 5 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज. काश्त. अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 30.06.2015

उपस्थितिः—

श्री कुलविन्द्रसिंह अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री रामसिंह ढाका अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय **दिनांक :— 30.04.2018**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.

30/4/18

काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद के निर्णय तक चक 2 बी छोटी के मु.नं. 49 के कि.नं. 16, 24, 25, मु.नं. 3 के कि.नं. 3, 13, मु.नं. 6 कि.नं. 3 व 8 कुल 5.10 बीघा भूमि की यथास्थिति बनाई रखे जावे एवं किसी अन्य के नाम मुन्तकिल नहीं करने के आदेश दिये जावे।

अप्रार्थी सं. 2 से 9 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

अधी. न्यायालय सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.03.2015 को वाद के निर्णय तक पुष्ट कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि संयुक्त खाता की है। अपीलांट सहकाश्तकार है जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती, साथ ही अधी. न्यायालय ने धारा 212 आर.टी.ए. के तीनों कारकों प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का कोई विवेचन नहीं किया हैं जोकि आज्ञापक प्रावधान है। अधी. न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखी है जिससे किसी पक्षकार को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। यदि वाद के निर्णय से पूर्व मौका एवं रिकार्ड में परिवर्तन हो जाता है तो अनावश्यक रूप से विवाद बढ़ने की

30/4/18

सम्भावना बनी रहती है। ऐसी स्थिति में अधी. न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट व रेस्पों. के संयुक्त खाते की कृषि भूमि में अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है जबकि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आर.टी.ए. का जैरकार है। राजस्व रिकार्ड अनुसार जिस विवादित कृषि भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई वह अपीलांट व रेस्पों. की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः जब तक भूमि का बंटवारा नहीं हो जाता, संयुक्त खाते की भूमि के हर कण पर सभी सहखातेदारों का कब्जा माना जाता है। अतः संयुक्त खाते की भूमि पर रेस्पों. का कब्जा मानकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना अधी. न्यायालय की विधिक भूल है जबकि बंटवारें का दावा लम्बित है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2015 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर